न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 35/2023

श्री नासिर पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मोहल्ला चुडी गरान पुरानी टोंक
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक
——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 30.10.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 562 दिनाक 15.09.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी का नाम ओर कार्यालय का नाम व पता की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
2— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 19 (3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त का नाम व पता की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
3—दफ्तर के सभी अधिकारी व कर्मचारियो के नाम व पदनाम व शक्तियो का विवरण उनके फोन नम्बर की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
4—लोक सूचना अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारी व अपील अधिकारी के नाम व पदनाम हर कार्यालय के बोर्ड पर प्रदर्शित है या नही इसकी सम्पूर्ण जानकारी दे।
5—कार्यालय मे दिनांक 06.09.2023 को दिये गये शिकायत पत्र /आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई। पत्र का कमांक नम्बर 8795 ये है। इसकी सूचना उपलब्ध कराई जावे एंव प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जावे।
6—दिनांक 30.11.2022 को व इससे पूर्व कई बार प्रस्तुत कर चुका है,परन्तु विधान सभा क्षेत्र 96 भाग संख्या 104 के बी.एल.ओ मांगीलाल वर्मा द्वारा प्रार्थी का वोटर लिस्ट मे नाम सही नही करवाया गया है। किस कारण नाम सही नही करवाया गया है। इसकी सूचना चाहता हूँ। आवेदन फार्म संख्या 8 की रसीद संलग्न है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र

जिला कलेक्टर

कमांक 987 दिनांक 18.10.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक/2023/2753 दिनांक 26.10.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दू संख्या 1 ता. 4 की सूचनां उनके पत्र कमांक 2709 दिनांक 25.10.2023 से जरिये डाक प्रेषित की गई है। बिन्दू संख्या 5 की सूचना भी उनके पत्र कमांक 2334 दिनांक 27.09.2023 से जरिये डाक प्रेषित की गई है तथा बिन्दू संख्या 6 की सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) टोंक से संबंधित होने से उनके पत्र कमांक 1824 दिनांक 04.10.2023 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक